

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक :-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/नियुक्ति-रावि/पीएससी-15/2017 प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 09.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से प्राप्त अभिस्तावना, आवेदन पत्रों की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 09.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। उक्त भर्ती का अंतिम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.12.2019 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक 09.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 6542/2020 मनोज कुमार शेरावत बनाम राज्य एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 6542/2020 मनोज कुमार शेरावत बनाम राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.08.2020 द्वारा याचिकार्थीगण को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन पेश करने और याचिकार्थीगण द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे पूर्व निर्णीत प्रकरण एस.बी.सिविल याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम सरकार व अन्य एवं एस.बी.सी. याचिका संख्या 19179/2017 कृष्णलाल व अन्य बनाम राज्य सरकार से कवर्ड करते हुए आदेशित किया है "If the respondent no-2 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, than the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but the would be entitled only to notional benefits."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थीगण सजकमल जाट व अन्य निम्नांकित अभ्यर्थियों द्वारा पृथक-2 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 09.06.2017 के आधार पर स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र.सं	नाम याचिकाथी	जन्मतिथि	मेरिट क्रमांक	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण आदेश दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	मनोज कुमार शेरावत	15.08.1984	1090	24.08.2018	28.08.2018
2	गिरधारी लाल धगड़ा	16.07.1985	1063	24.08.2018	28.08.2018
3	रामकिशोर यादव	01.04.1982	939	24.08.2018	29.08.2018
4	प्रमोद कुमार	15.06.1990	964	24.08.2018	28.08.2018

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक राजनीति विज्ञान के नियुक्ति आदेश दिनांक 10.06.2017 द्वारा कार्मिक मीनाक्षी मेरिट क्रमांक -2021 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी कार्मिक द्वारा राउमावि रेपडावास, सोजत,पाली में दिनांक 16.06.2017 को मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 6542/2020 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 07.08.2020 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम-8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी मीनाक्षी (मेरिट क्रमांक-2021) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 10.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में मीनाक्षी द्वारा दिनांक 16.06.2017 को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए हैं।

मीनाक्षी द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड-पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थियों के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक मीनाक्षी द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, परंतु वे सभी नोशनल परिलाभ के हकदार ही होंगे। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/या. 6542/2020

दिनांक : 15/03/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 01- विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान, जयपुर।
- 02- विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान, जयपुर।
- 03- निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्कूल शिक्षा) राजस्थान जयपुर
- 04- संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
- 05- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि)/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
- 06- सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय-हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ
- 07- संबंधित संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि.....।
- 08- संबंधित कार्मिक.....।
- 09- निजी/रक्षित पत्रावली।

सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा निदेशक
बीकानेर